राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक

तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

जाति प्रमाण पत्र

क्रमाकः प.सुगम/ जा.पं. / 2012 / 4397 दिनांक 13/07/2012

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री /सुश्री /श्रीमती स्पर्श वर्मा

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री राधेश्याम

निवासी झालावाड़

जिला / डिवीजन झालावाड़ राज्य / संघ राज्य / राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी / प्रार्थीनी जाति / समुदाय रैगर का है जिसे निम्नांकित अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

जो अनुसूचित जाति की सूची संख्या में क्रम सं. 17 पर दर्ज है।

- ☐ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- ☐ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- ☐ संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- ☐ संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- ☐ अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956
- ☐ मुम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966
- ☐ हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उतरपूर्वीय क्षेत्र (पूर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा – – अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गये अनुसार
- ☐ संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- ☐ अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान– –(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- ☐ संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
- ☐ संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962
- ☐ संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति, आदेश 1964
- ☐ संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967
- ☐ संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति, आदेश 1968
- ☐ संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1968
- ☐ संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1970
- ☐ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- ☐ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- ☐ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969
- ☐ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- ☐ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री / सुश्री / श्रीमती स्पर्श वर्मा पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री श्री राधेश्याम

जाति रैगर निवासी झालावाड़

जिला / डिवीजन झालावाड़ राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते है।

स्थान : झालरापाटन

दिनांक : 13/07/2012

तहसीलदार

कार्यालय मोहर

तहसीलदार

(नोट : कृपया उन [ ] शब्दो को हटा दीजिए जो लागू नहीं है)

यहाँ प्रयुक्त हुये ''साधारण तौर से निवास '' शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 धारा 20 में है।